संख्या -13/ 2024/001-353-24-1-2024-1049-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उशासन। 0प्र0

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रू0 3951.40 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1400/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2023-24/436, दिनांक 16 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्ष 4801-80-190-09-30 में हो रही बचत धनराशि रूपये 1,08,790/- (रूपये एक लाख आठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत मद के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-05-190-15-30 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा रूपये 3951.40 करोड़ के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूँजी के रूप में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 727,82,41,000/- (रूपये सात सौ सत्ताईस करोड़ बयासी लाख इक्तालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि 181,57,20,128/- (रूपये एक सौ इक्यासी करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार एक सौ अठ्ठाईस मात्र) तथा संलग्न बी0एम0 09 के अनुसार उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1,08,790/- (रूपये एक लाख आठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) सहित कुल धनराशि रूपये 181,58,28,918/- (रूपये एक सौ इक्यासी करोड़ अठ्ठावन लाख अठ्ठाइस हजार नौ सौ अठारह मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेग।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(7) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(8) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(9) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तरदायी होंगे।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का होगा।

(11) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,81,58,28,918 (रुपये एक अरब इक्यासी करोड़ अट्ठावन लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051901500 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी रू0 3951.40 करोड के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-163-X-2023-24-दिनांक:1-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

<u>संख्या- 13/2024/001-353-24-1-2024-1049-2021, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।